

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर, रुड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.02.2021 से 04.03.2021 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### **भाग-I**

**1 परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्रीमति रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.02.2020 से 02.03.2020 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	1451.10 + 790.59
2018-19	1417.30 + 19.55
2019-20	1527.68 + 3.22

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर> सहायक आयुक्त , राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर, रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

**राजस्व:** ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय:** ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व का लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

शून्य

### भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 4.82 लाख कि राजस्व क्षति।

प्रस्तर- 02 : कर का न्यूनारोपण ₹2.43लाख।

प्रस्तर- 03 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 1.88 लाख ।

प्रस्तर- 04 : व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.83 लाख।

प्रस्तर- 05 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि की वसूली न किए जाने से राजस्व क्षति ₹0.23लाख।

## व्यय की लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

शून्य

### भाग-II (ब)

शून्य

## भाग दो ब

### प्रस्तर-01 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 4.82 लाख कि राजस्व क्षति।

कार्यालय सहायक आयुक्त खंड 2 राज्य कर रुड़की के अभिलेखों के नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया की सर्वश्री मोबरील हेल्थकेयर प्रा ली रुड़की (टिन 05015523905 कर निर्धारण वर्ष 2015-16) का व्यापार दवाइयों की खरीद बिक्री का था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल खरीद ₹ 1837616.00 (प्रांतीय खरीद ₹ 1240768 एवं आयातित ₹ 596848) की एवं उसके विरुद्ध स्टॉक ट्रांसफर ₹10880059.00 का स्वीकार किया गया। कोई भी बिक्री दर्शाई नहीं गयी थी। उक्त स्टॉक ट्रांसफर में से ₹ 4819024 का स्टॉक ट्रांसफर सेल रिटर्न के रूप में स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की जांच में पाया गया की उक्त फर्म की कोई भी ब्रांच या consignee पंजीकरण प्रमाण पत्र में घोषित नहीं थी। नियमतः स्टॉक ट्रांसफर केवल ब्रांच या consignee को ही किया जा सकता है। चारों त्रैमास की विवरणियों के अनुसार कुल आयातित खरीद (फर्म सी के विरुद्ध) ₹ 521367 घोषित थी और वार्षिक विवरणी के अनुसार कुल आयातित खरीद ₹596848 की घोषित थी एवं कोई पर्चेज रिटर्न नहीं था। चतुर्थ त्रैमास की विवरणी अनुसार परचेस रिटर्न ₹101490 की घोषित था परंतु उक्त को, स्वीकार किए गए बुक ऑफ एकाउन्ट्स में दर्शाया नहीं गया था। यद्यपि उक्त के समर्थन में विक्रेता द्वारा निर्गत कोई क्रेडिट नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है की आयातित खरीद से संबन्धित कोई विवरण यथा प्रयुक्त फार्म 16 की विवरण इत्यादि उपलब्ध नहीं था। पुनः उक्त बिन्दुओं पर कोई टिप्पणी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी। पुनः जांच में पाया गया कि ₹ 1837616.00 (प्रांतीय खरीद ₹ 1240768 एवं आयातित ₹ 596848) की खरीद में से ₹ 1184049.00 (1837616-653567) की खरीद को ₹ 9696010.00 की मूल्य वृद्धि (10880059-1184049) कर ₹ 10880059.00 का स्टॉक ट्रांसफर घोषित किया गया। स्टॉक ट्रांसफर के मूल्य में उक्त अप्रत्याशित वृद्धि (लगभग 818%) की जांच किए जाने संबंधी कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध सेल रिटर्न के संबंध में डेबिट नोट के विवरण स्पष्ट था की कुल डेबिट नोट केवल ₹ 1239518.00 के प्रस्तुत किए गए जबकि कर निर्धारण में ₹4819024 का डेबिट नोट स्वीकार किया गया। शेष ₹ 3579506.00 के अप्राप्त डेबिट नोट के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म एफ की जांच में पाया गया की फार्म एफ नंबर 09071655006882, 09071653006897, 09071653006901 एक माह से अधिक के समव्यवहारों हेतु निर्गत किए गए। इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में समस्त प्रभावी स्टॉक ट्रांसफर ₹9640541.00 (10880059-1239518=9640541) को स्टॉक ट्रांसफर नहीं अपितु बिक्री मानते हुए पूर्ण दर 5% से कर 482027.00 एवं नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर विभाग ने जाँचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2 (ब)****प्रस्तर- 02 : कर का न्यूनारोपण ₹2.43लाख।**

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 2 राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

(i) **सर्वश्री माइक्रोन, रुड़की, टिन: 05004055110**, का व्यापार scientific equipment की निर्माण एवं बिक्री का है। उक्त व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में फॉर्म सी के विरुद्ध ₹42,10,722/- की बिक्री दर्शाई गई थी जिस पर 1% की दर से कर आरोपित किया गया था। उपरोक्त के संबंध में संलग्न फॉर्म सी के अवलोकन में पाया गया कि 04 फॉर्म 'सी' से आच्छादित धनराशि ₹25,07,435/- की बिक्री स्वनिर्मित scientific equipment की न होकर अन्य वस्तुओं (mining goods, electronic goods एवं electrical goods) की थी जिस पर 2% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ₹25,07,435/- की उक्त बिक्री पर अंतरीय दर 1% (2% - 1%) से ₹25,074/- राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

(ii) **सर्वश्री गढ़वाल बोरवेल, टिन: 05003976928** द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में ठेके के कार्य में प्रयोग किए गए ₹11,85,000/- के बजरी एवं बालू पर बिक्री के अनुक्रम में 5% की दर से ₹59250/- का कर आरोपित किया गया था जबकि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची -II C (क्र.सं.-3) के अनुसार बजरी एवं बालू की बिक्री पर 9% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ₹11,85,000/- की बजरी एवं बालू की बिक्री पर अंतरीय दर 4% (9 - 5) से ₹47,400/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

(iii) कर निर्धारण आदेशानुसार **सर्वश्री आर०पी० सेल्स कारपोरसन, टिन 05009044402** का व्यापार पेट रेसिन चिप्स की खरीद बिक्री का है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में कुल खरीद ₹ 3211420.00 की दर्शाई गयी थी जिसके विरुद्ध ₹3257581.00 की कुल बिक्री घोषित की गयी थी। उक्त बिक्री में से ₹2002481.00 की पेट रेसिन चिप्स की 5% की दर से कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार की

गयी थी। पेट रेसिन चिप्स अवर्गीकृत वस्तु है जिस पर कर निर्धारण 13.5%/14.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ₹2002481/- की पेट रेसिन चिप्स की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से न्यूनतम ₹1,70,211/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों {(i) - (iii)} के संबंध में, लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, ₹2,42,685/- (25,074 + 47,400+1,70,211) लाख के कर के न्यूनारोपण का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



**भाग 2 ब**

**प्रस्तर- 03 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 1.88 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 2 राज्य कर, रुड़की** के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कर निर्धारण आदेशानुसार सर्वश्री साई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ रुड़की, टिन 05013736098, का व्यापार पेट रेसिन एवं पेट प्रीफोरम की खरीद बिक्री का है, कुल खरीद ₹12293149.00 की दर्शाई गई जिसमें स्थानीय खरीद ₹ 11873160.00 की एवं केंद्रीय खरीद ₹ 419988.00 की थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच में पता चला की संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹ 13,93,575.00 की मशीनरी का आयात किया गया था परंतु उक्त मशीनरी को बैलेन्स शीट में लिए जाने का कोई साक्ष्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त मशीनरी की खरीद पर न्यूनतम 13.5% की दर से ₹1,88,133/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के संबंध में, लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 1.88लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर- 04 : व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.83 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रुपये या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 2 राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि**

(i) **व्यापारी सर्वश्री राहुल एंटर प्राइजेज़, टिन- 05009234716**, द्वारा कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमेंट का आरंभिक रहतिया एवं अंतिम रहतिया शून्य घोषित किया गया था। उक्त अवधि में सीमेंट की खरीद ₹ 20,32,567/- एवं बिक्री ₹ 19,20,349/- की दर्शाई गई थी। अतः, कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 1,12,218/- (20,32,567 - 19,20,349) पर 13.5% की दर से न्यूनतम ₹15,149/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ₹ 15,149/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उक्त के संबंध में, लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त त्रुटि लिपिकीय है एवं संशोधन के उपरांत लेखा परीक्षा को प्रेषित कर की जाएगी।

(ii) **व्यापारी सर्वश्री चिराग एसिड केमिकल्स, टिन - 05011302950** द्वारा कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2016-17 में 13.5% की दर से कर योग्य वस्तु केमिकल की कुल खरीद ₹ 2,01,121/- (आयातित ₹ 1,64,945 + प्रांतीय ₹ 36176) की एवं बिक्री ₹ 6000/- की थी। अतः, कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 1,95,121/- (2,01,121 - 6000) पर 13.5% की दर से न्यूनतम ₹ 26,341/- कर आरोपणीय है इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ₹ 26,341/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उक्त के संबंध में, लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः कर ₹ 41490/- (15,149 + 26,341) एवं अर्थदण्ड ₹ 41490/- (15,149 + 26,341) के अनारोपाण के कारण ₹ 82980/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2 ब**

**प्रस्तर- 05 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि की वसूली न किए जाने से राजस्व क्षति ₹0.23लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार, “जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता”।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 2 राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कर निर्धारण आदेशानुसार सर्वश्री श्री आई एस ट्रेडिंग कंपनी, टिन 05006417351, का व्यापार आइरन स्क्रैप आदि की खरीद एवं बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल खरीद ₹ 8700831.51 (प्रांतीय) की स्वीकार की गयी जिसमें 3% की दर से ₹ 1173372.10 की रियायती खरीद घोषित की गयी। शेष खरीद ₹ 6320816 की 5% की दर से एवं ₹ 1206642 की खरीद 13.5% की दर से घोषित की गयी। उक्त खरीद के विरुद्ध ₹14245425 की बिक्री घोषित की गयी जिसमें प्रांतीय बिक्री ₹ 9298129 एवं ₹ 856650 की क्रमशः 5% एवं 13.5% की दर से घोषित की गयी। केंद्रीय बिक्री ₹ 4198470 की 2% की दर से घोषित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आलोक में व्यापारी 3% की रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था।

अतः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार उक्त व्यापारी सर्वश्री आई एस ट्रेडिंग कंपनी द्वारा ₹ 1173372.10 की रियायती खरीद पर अंतरीय दर 2% (5- 3) से ₹23467/- की वसूली अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/14/2016-17	-	01,02,03	-
CT/154/2017-18	-	01,02	-
CT/150/2019-20	01	01,02	-

**भाग-IV****इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर, रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री अनन्त रजनीश	सहायक आयुक्त (01.04.2019 से 09.07.2019)
(ii)	श्रीमती दीपा सिंह	सहायक आयुक्त (10.07.2019 से 31.03.2020)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV